रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072026-274341
CG-DL-E-10072026-274341

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 525] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948
No. 525] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 6, जुलाई, 2026

सा.का.नि. 583(अ).—केंद्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 212 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 216 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 222 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण क्षति के प्रतिकर के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि) नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या किए जाने का लोप किया गया था, अधिक्रान्त करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (तेल प्रदूषण क्षति के प्रतिकर के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निधि) नियम, 2026 है

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन कि तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम तटीय समुद्र सहित भारत के राज्य क्षेत्र में कारित प्रदूषण क्षति और ऐसी प्रदूषण क्षति का निवारण करने या उसे कम करने के लिए निवारणात्मक उपायों, जहां कहीं भी किए जाएं, के संबंध में लागू होंगे।

2. परिभाषाएं— (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "निधि अभिसमय" से तेल प्रदूषण क्षति, 1992, यथा संशोधित, के लिए प्रतिकर हेतु किसी अंतर्राष्ट्रीय निधि की स्थापना के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय अभिप्रेत है;

(घ) "टन भार" से कुल टन भार अभिप्रेत है, जो अधिनियम के अधीन बनाए गए लागू नियमों के अनुसार संगणित है।

(2) ऐसे शब्द और पद जिन्हें इन नियमों में प्रयुक्त किया गया है किन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा जा अधिनियम में क्रमशः उनके है।

3. सहायक व्यक्ति— अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए "सहायक व्यक्ति" पद में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात् :-

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा (87) में यथा परिभाषित कोई सहायक कंपनी;

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा (46) में यथा परिभाषित कोई धारित कंपनी;

(ग) कोई ऐसी इकाई जो अभिदायकर्ता को नियंत्रित करती है या अभिदायकर्ता द्वारा नियंत्रित होती है या अभिदायकर्ता के पास सामान्य नियंत्रण के अधीन है; और

स्पष्टीकरण— खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, 'नियंत्रण' पद का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा (27) में उसका है ।

(घ) किसी सीमित दायित्व साझेदारी की दशा में, कोई व्यक्ति या इकाई, जिसे नामनिर्दिष्ट साझेदारों को बहुमत में नियुक्त करने का अधिकार है, जहां अन्य का विनिर्दिष्ट अपवर्जन करने वाले ऐसे नामनिर्दिष्ट साझेदारों का ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की संपूर्ण नीतियों पर नियंत्रण है।

4. **निधि के लिए अभिदाय करने के लिए दायी व्यक्ति द्वारा घोषणा—** कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 213 के उपबंधों के अनुसार निधि अभिदाय करने के लिए दायी है, इन नियमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप में विनिर्दिष्ट सूचना महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा।

5. **नोटिस के अनुसरण में सूचना का प्रस्तुतीकरण—** (1) जहां कोई, जो व्यक्ति निधि के लिए अभिदाय करने के लिए दायी है, नियम 4 या अन्यथा के अधीन अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो महानिदेशक नियम 4 के अधीन अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए ऐसे व्यक्ति को अधिनियम की धारा 217 की उपधारा (1) के अधीन कोई नोटिस जारी करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना ऐसे नोटिस की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, जो महानिदेशक द्वारा लिखित में अनुज्ञात की जाए।

(3) कोई व्यक्ति जो इस नियम के उल्लंघन में किसी नोटिस के अनुपालन से इंकार करता है या जानबूझकर नजरअंदाज करता है या कोई मिथ्या कथन करता है, अधिनियम की धारा 281 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट किसी शास्ति के लिए दायी होगा।

6. **निधि के लिए सूचना रिपोर्ट करने के लिए बाध्यता—** महानिदेशक यथास्थिति नियम 4 या नियम 5 के अधीन प्राप्त सूचना निधि को अग्रेषित करेगा।

7. **लेखों की इकाईयां—** (1) निधि अभिसमय में निर्दिष्ट लेखा की इकाईयां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा यथा परिभाषित विशेष आहरण अधिकार हैं।

(2) लेखा इकाईयों को प्रतिकर के संदाय की पहली तारीख के रूप में निधि की सभा के विनिश्चय की तारीख पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अवधारित विशेष आहरण अधिकारों क रुपये में शासकीय मूल्य के अनुसार भारतीय रुपये में संपरिवर्तित किया जाएगा।

प्ररूप

[नियम 4 देखिए]

तेल अभिदाय करने की प्राप्तियों पर आईओपीसी निधि को रिपोर्ट

□ 1992 निधि □ पूरक निधि

सदस्य राज्यः____________________ तेल वर्षः____________________

____________________ **कंपनी का नाम**	□ कोई संगम नहीं □ के साथ संगम: ____________________
____________________ **बीजक संपर्क नाम**	____________________ **शीर्षक**

तेल प्राप्तकर्ता

गली शहर डाक कोड

फोन फैक्स ईमेल

तेल रिपोर्ट संपर्क नाम (यदि अलग हो) **शीर्षक**

गली शहर डाक कोड

फोन फैक्स ईमेल

तेल जानकारी

अपरिष्कृत तेल और भारी ईंधन तेल। अधिक जानकारी के लिए टिप्पण देखिए।

	समुद्र द्वारा परिवहन के पश्चात् सीधे प्राप्त किया गया	मीट्रिक टन
	उसी राज्य के भीतर तटीय आवागमन	मीट्रिक टन

गैर - सदस्य राज्य का नाम

____________________ □ पाइपलाइन □ भूमि परिवहन □ अन्य [ ] मीट्रिक टन

____________________ □ पाइपलाइन □ भूमि परिवहन □ अन्य [ ] मीट्रिक टन

कुल अभिदाय किया जाने वाला तेल [ ] मीट्रिक टन

कंपनी पदाधिकारी **हस्ताक्षर** सरकारी पदाधिकारी

हस्ताक्षर **तारीख** **हस्ताक्षर** **तारीख**

नाम और शीर्षक **नाम और शीर्षक**

फ़ोन **फैक्स** **फ़ोन** **फैक्स**

ईमेल **ईमेल**

केवल आईओपीसी निधि' के उपयोग के लिए	**सीटीआर/**	**चेक किए गए**	**तारीख**	**अनुज्ञात**	**तारीख**

[फा. सं. SY-19014/192/2025-MG-Part(3)]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2026

G.S.R. 583(E).—In exercise of the powers conferred by section 222 read with clause (a) of sub-section (1) of section 212, and sub-section (4) of section 216 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and in supersession of the Merchant Shipping (International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage) Rules, 2008, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: –

1. Short title, commencement and application. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage) Rules, 2026.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to pollution damage caused in the territory of India, including the coastal waters, and to preventive measures, wherever taken, to prevent or minimise such pollution damage.

2. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) "form" means the form appended to these rules;

(c) "Fund Convention" means the International Convention on the establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1992, as amended; and

(d) "tonnage" means the gross tonnage, which is calculated in accordance with the applicable rules made under the Act.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Associated person. — For the purposes of clause (a) of sub-section (1) of section 212 of the Act, the term "associated person" shall include the following, namely:—

(a) a subsidiary company, as defined in sub-section (87) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) a holding company, as defined in sub-section (46) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(c) an entity which controls the contributor or is controlled by the contributor or is under common control with the contributor; and

Explanation. – For the purpose of clause (c), the term 'control' shall have the same meaning as assigned under sub-section (27) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(d) a limited liability partnership in which the contributor has the right to appoint majority of the designated partners, where such designated partners, with specific exclusion to others, have control over all the policies of such limited liability partnerships.

4. Declaration by persons liable to contribute to the Fund. — Any person who is liable to contribute to the Fund as per the provisions of section 213 of the Act shall submit to the Director-General information specified in the Form annexed to these rules.

5. Furnishing of information pursuant to notice. — (1) Where any person liable to contribute to the Fund fails to furnish information required under rule 4 or otherwise, the Director-General shall issue a notice under sub-section (1) of section 217 of the Act to such person for furnishing information required under rule 4.

(2) The information referred to in sub-rule (1) shall be furnished within two weeks of the receipt of such notice, or within such further period as may be permitted in writing by the Director-General.

(3) Any person who refuses or wilfully neglects to comply with a notice or makes any false statement in contravention of this rule shall be liable to a penalty as specified in sub-section (2) of section 281 of the Act.

6. Obligation to report information to Fund. — The Director-General shall forward to the Fund information received under rule 4 or rule 5, as the case may be.

7. Units of accounts. — (1) The units of account referred to in the Fund Convention are the special drawing rights as defined by the International Monetary Fund.

(2) The units of account shall be converted into Indian rupees according to the official value in rupees of the special drawing rights as determined by the Reserve Bank of India on the date of the decision of the Assembly of the Fund as to the first date of payment of compensation.

FORM

[See rule 4]

REPORT TO THE IOPC FUNDS ON RECEIPTS OF CONTRIBUTING OIL

☐ 1992 Fund ☐ Supplementary Fund

Member State: ______________________ **Oil Year:** ______________________

____ **Company Name**	☐ No Association ☐ Association with: ____________________________
____ **Invoice Contact Name**	____ **Title**

OIL RECEIVER

____

Street City Postal Code

____

Phone Fax Email

____

Oil Report Contact Name (if different) **Title**

____

Street City Postal Code

____

Phone Fax Email

OIL INFORMATION

Crude oil and heavy fuel oil. See notes for more information.

Received directly after carriage by sea __________ metric tones

Coastal movement within the same State __________ metric tones

Name of non-Member State(s)

____________________________________ ☐ Pipeline ☐ Ground Transportation ☐ Others __________ metric tons

____________________________________ ☐ Pipeline ☐ Ground Transportation ☐ Others __________ metric tons

Total Contributing Oil : __________________________ metric tons

Company Official **SIGNATURE** Government Official

Signature **Date**	**Signature** **Date**
Name & Title	**Name & Title**
Phone Fax	**Phone Fax**
Email	**Email**

For IOPC Funds' use only	CTR/	Checked	Date	Approved	Date

[F. No. SY-19014/192/2025-MG-Part(3)]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.10 15:44:48 +05'30'